अभिलेख उपस्थापित।

29-12-22 (1.) सोमर राम, (2.) कुशल चन्द्र राम दोनों के पिता स्व0 परन राम, (3.) विनोद राम पिता स्व0 भुनेश्वर राम एवं (4.) मुलन राम पिता स्व0 जीतन राम, निवास स्थान ग्राम–मेरावल, सिन्दूर, थाना–सदर, वर्तमान थाना–कोर्रा, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–नवडीहा, थाना नं0–162, खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–87, रकवा 0.18 (18 डिसमिल) (अठारह डिसमिल) भूमि रंजीत कुमार रजक पिता बाबुलाल रजक, निवास स्थान ग्राम–बनासो, थाना–विष्णुगढ़, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22016320 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-262/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1195/रा0 दिनांक 11.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1405 दिनांक 03.09.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत तिलक भुइंया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.08 एकड़ भूमि है। ऑनलाईन पंजी–II में रकवा 0.35 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या–43/I पर मेघन भुइंया के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदकगण के दादा हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 17डी0 भूमि बचता है तथा मौजा–सिन्दूर में रकवा 1.00 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार टिप्पणी
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) सोमर राम, (2.) कुशल चन्द्र राम दोनों के पिता स्व0 परन राम, (3.) विनोद राम पिता स्व0 भुनेश्वर राम एवं (4.) मुलन राम पिता स्व0 जीतन राम, निवास स्थान ग्राम– मेरावल, सिन्दूर, थाना–सदर, वर्तमान थाना–कोर्रा, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–नवडीहा, थाना नं0–162, खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–87, रकवा 0.18 (18 डिसमिल) (अठारह डिसमिल) भूमि रंजीत कुमार रजक पिता बाबुलाल रजक, निवास स्थान ग्राम–बनासो, थाना–विष्णुगढ़, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.12.29 14:20:24 +05:30
Location: 192.168.0.111